जो लोग दर्शक बनकर मैच का आनन्द लेते थे अब ग्राउण्ड पर खेलकर क्रिकेट का रोमांच प्राप्त करेंगे : सिंधिया

नवभारत न्यूज़

ग्वालियर 13 मार्च. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा तीन दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया है। क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ करते हुये केन्द्रीय संचार मंत्री

कैट के क्रिकेट प्रीमियम लीग का सिंधिया एवं प्रद्युमन सिंह ने किया शुभारंभ

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह सौभाग्य का विषय है जो व्यापारी पहले क्रिकेट दर्शक होते थे अब क्रिकेट के ग्राउण्ड पर रोमांचक खेल का आनन्द लेंगे और कैट ने महिला टीम को अवसर देकर एक नई पहल की है। उन्होंने कैट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री

भूपेन्द्र जैन को बधाई देते हुये कहा कि यह अच्छी सोच है। हम व्यापार के साथ साथ खेलों के माध्यम से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि आगामी क्रिकेट मैच में अगर पुरूषों की 8 टीम हो तो महिलाओं की भी 8 टीम बने और हम बॉल का उपयोग भी प्रोफेशनल तरीके से करे तो उसका लाभ अधिक लोगों

तक पहुंचेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 12 क्रिकेट टीमों से परिचय प्राप्त किया, उन्हें सील्ड प्रदान की, मुख्य संयोजक आकाश जैन एवं स्वागत अध्यक्ष रीतेश गुप्ता, मोनू बरिष्ठ उपाध्यक्ष, पवन जैन ने अतिथियों की आगवानी की। कार्यक्रम का संचालन संभागीय अध्यक्ष दीपक पमनानी ने किया और टीमों के बीच कौन कौन से मैच किस किस के बीच होंगे इसका ड्रा ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा निकाला गया। अपने उदबोधन में केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस महत्वपूर्ण स्थान को इतिहास का बहुत ही रोचक स्थान बताया। 200 रन सचिन तेन्दुलकर ने इसी ग्राउण्ड पर बनाये थे। इस हेतु उन्होंने कहा कि इसे नमन करे और इस स्थान को प्रणाम करने के बाद ही मैच खेले। इस अवसर पर संयोजक नीरज चौरसिया, अंशुल गुप्ता, राहुल अग्रवाल, विकास गुप्ता, अंकुर महेश्वरी, मुकेश अग्रवाल, मुकेश गुप्ता, सचिन राजपूत, रीना गांधी सहित सभी कैट पदाधिकारी दिलीप पंजवानी, रवि गुप्ता, विवेक जैन व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

तीन दिवस में वेतन नहीं मिला तो कलेक्ट्रेट घेरेंगे आउटसोर्स कर्मचारी : कोमल सिंह

ग्वालियर 13 मार्च. शहर के जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शहरी स्वास्थ्य केंद्र संजीवनी क्लिनिक एवं उप स्वास्थ्य केंद्र एवं पोषण पुनर्वास केंद्र अन्य इकाइयों में सेवाएं दे रहे जिले के सैकड़ों आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी वेतन के लिए तरस रहे हैं। 3 माह से वेतन नहीं मिला है। होली त्योहार भी फीका रहा। ग्वालियर में 700 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी के लिये विभाग द्वारा एजेंसियों से अनुबंध के दौरान टर्नओवर 6 माह का रखा गया है फिर भी उमाह से सैकड़ों आउट सोर्स कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया गया एव श्रम विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2024 से वेतन पुनरीक्षित वृद्धि की गई थी उक्त अवधि का 11 माह का एरियर भुगतान नहीं किया गया ना ही बोनस राशि का भुगतान किया गया।

एसएलपी कॉलेज में महिला सशक्तिकरण पर व्याख्यान आयोजित

नवभारत न्यूज़

ग्वालियर 13 मार्च. परिवार, शिक्षा और सामाजिक प्रगति के हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बात महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कृष्णकांता तोमर शासकीय श्यामलाल पांडवीय महाविद्यालय (एसएलपी) मुरार में 'आर्थिक स्वतंत्रता और कानूनी अधिकार: महिला सशक्तिकरण की आधारशिला' विषय पर आयोजित व्याख्यान में मुख्य अतिथि के रूप में कही। अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शत्रुघ्न सिंह तोमर ने की। विशिष्ट अतिथि पूर्व स्वतंत्र निदेशक एमडीएल पीएसयू-डिफेंस नीरू सिंह ज्ञानी, डॉ. स्नेहलता दुबे एवं पूर्व जनभागीदारी अध्यक्ष प्रहलाद सिंह घुरैया थे। अतिथियों का स्वागत भगवद्गीता भेंटकर किया। नीरू सिंह ज्ञानी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की वास्तविक शुरुआत आर्थिक आत्मनिर्भरता और अपने कानूनी अधिकारों की जानकारी से होती है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया और विकसित भारत के संकल्प से जोड़ते हुए कहा कि आज महिलाओं और युवाओं को शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब नारी सशक्त होती है, तो राष्ट्र मजबूत होता है। डॉ. स्नेहलता दुबे ने सीपीआर पर मॉडल के माध्यम से व्यावहारिक प्रदर्शन करते हुए बताया कि आपातकालीन परिस्थितियों में प्राथमिक उपचार की सही जानकारी किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकती है। विद्यार्थियों ने इस प्रस्तुति को बड़े ध्यान से देखा और स्वास्थ्य जागरूकता के महत्व को समझा। इस दौरान डॉ. शत्रुघ्न सिंह तोमर, डॉ. बीबी गुप्ता, डॉ. लक्ष्मी शर्मा एवं डॉ. निशा सिंह तोमर ने भी महिला सम्मान और समाज में महिलाओं की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर महाविद्यालय की कर्मचारियों को प्राचार्य डॉ. शत्रुघ्न सिंह तोमर एवं अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। संचालन डॉ. बीके भारद्वाज एवं आभार डॉ. सुनीता वार्ष्णेय ने व्यक्त किया।

शिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जेयू और उज्जैन विवि में एमओयू साइन

ग्वालियर। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) के तहत शिक्षण व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय और सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन के बीच एमओयू साइन हुआ। इस अवसर पर जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. राजकुमार आचार्य एवं उज्जैन के कुलगुरु प्रो. अर्पण भारद्वाज ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद दोनों विश्वविद्यालयों के बीच शैक्षणिक सहयोग मजबूत होगा और दोनों विश्वविद्यालय के छात्र प्राध्यापक व शिक्षक एक दूसरों के शोध व सुविधाओं का आदान प्रदान करेंगे। साथ ही संयुक्त अनुसंधान, संकाय, छात्र विनिमय, पाठ्यक्रम विकास, सेमिनार और कार्यशालाओं के आयोजन किए जाएंगे। यह एमओयू आगामी तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगा और इसके माध्यम से छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलेगी। इसके अलावा उच्च शिक्षा में समान अवसर और समावेशिता को बढ़ावा देने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में भी यह समझौता महत्वपूर्ण साबित होगा। इस पहल से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर विकसित होंगे और छात्रों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इस मौके पर प्रो. समीर भाग्यवंत व विवि के प्रोफेसर और कर्मचारी मौजूद रहे।

जेयू से संबद्ध बीएड कॉलेजों का निरीक्षण आज से शुरू होगा

ग्वालियर। जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों का निरीक्षण शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। पहले चरण में बीएड कॉलेजों का निरीक्षण कराया जाएगा और इसके बाद सामान्य पाठ्यक्रम के कॉलेजों का निरीक्षण होगा। निरीक्षण की टीमें बनाने के बाद उनसे कहा गया है कि कॉलेज में छात्रों को दी जाने वाले मूलभूत सुविधा के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाएं। डीसीडीसी प्रो. शांतिदेव सिसोदिया ने बताया कि पहले दिन गुना, शिवपुरी, अशोकनगर और श्योपुर के 33 कॉलेजों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके तहत 11 टीमें गठित कर दी हैं। निरीक्षण के दौरान बीएड कॉलेजों में मौके पर भवन एवं स्टाफ सहित अन्य सुविधाओं का जियो टैगिंग के जरिए अनिवार्य रूप से फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। इसके बाद निरीक्षण टीमों की रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी और कार्यपरिषद की बैठक में रखी जाएगी। निरीक्षण रिपोर्ट को मंजूरी के बाद कॉलेजों को संबद्धता दे दी जाएगी। यहां बता दें कि जल्द ही अंचल के अन्य जिलों के बीएड कॉलेजों में निरीक्षण करने के लिए टीमें पहुंचेंगी। किस कॉलेज में टीम कब पहुंचेगी, यह पिछले साल की तरह गोपनीय रखा जा रहा है।

होली के रंगों और भक्ति के सुरों से सराबोर हुई महाविद्यालय की मासिक सभा

ग्वालियर। स्थानीय महाविद्यालय में आयोजित इस माह की 'मासिक सभा' पूरी तरह से होली के उत्सव और शास्त्रीय संगीत के नाम रही। 'होली थीम' पर आधारित इस सभा में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने अपनी कला से ऐसा समां बांधा कि पूरा परिसर भक्ति और उल्लास के रंगों में सराबोर हो गया। कार्यक्रम का आगाज विकास शर्मा की सुरीली प्रस्तुति 'कन्हैया रंग डारे मोपे' से हुआ, जिसने दर्शकों को ब्रज की होली की याद दिला दी। उनके साथ तबले पर धीरज नागर और सिंथेसाइजर पर कुणाल ने बेहतरीन संगत की। इसके बाद गोविंद रंधावा ने राग यमन में मधुर भजन और 'शबद' की प्रस्तुति देकर वातावरण को आध्यात्मिक बनाया। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हिमांशु गौर ने 'इक दिन माटी में मिल जाना' के माध्यम से जीवन के दर्शन को प्रस्तुत किया। वहीं लक्ष्य शर्मा ने 'है आंख वो श्याम का दर्शन' और वेदांश भार्गव ने 'लाली मेरे लाल की' जैसे भजनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यार्थियों के साथ-साथ शिक्षकों की सहभागिता ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। डॉ. प्रणव पराड़कर की प्रस्तुति के उपरांत प्रभारी डॉ. वीणा जोशी के नेतृत्व में समूह गायन प्रस्तुत किया गया। डॉ. जोशी ने राग सोहनी की प्रसिद्ध बंदिश 'जिन डारों रंग मानो गिरधारी' का प्रभावी गायन किया। इस समूह गायन में साक्षी, ज्योति बाला और निधि शुक्ला ने स्वर दिए, जबकि तबले पर डॉ. प्रणव पराड़कर ने कुशल संगत की। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य होली के सांस्कृतिक महत्व को संगीत के माध्यम से साझा करना था। कार्यक्रम के अंत में प्रभारी डॉ. वीणा जोशी ने सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना की।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी सम्पति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 07 भवन क्रमांक ..... स्थान मानपुर में स्थित है जो कि अमर अग्रवाल/ अनिल अग्रवाल के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक ..... पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है। उक्त सम्पति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी142602023ए12189202 दिनांक 27/7/2023 से प्राप्त किया गया है। उक्त सम्पति को मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा पर दिनांक 13/03/2026 को किया गया है। जिसका ऑनलाइन आवेदन कार्य क्रमांक 75/2011/55060/54987 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 13-3-2026
आवेदक का नाम/पता
महेश कुमार /रतिराम
पता : मानपुर ग्वालियर म.प्र.
मो. 9425111114

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी सम्पति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 05 भवन क्रमांक ..... स्थान जगनापुरा में स्थित है जो कि लक्ष्मी बाई कुशवाह/ विजेन्द्र सिंह कुशवाह/महाराज सिंह के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक ..... पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 340 वर्गफुट है। उक्त सम्पति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी142602015ए1073972 दिनांक 10/9/2015 से प्राप्त किया गया है। उक्त सम्पति को मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा पर दिनांक 13/03/2026 को किया गया है। जिसका ऑनलाइन आवेदन कार्य क्रमांक 75/2011/55061/54988 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 13-3-2026
आवेदक का नाम/पता
विमला /कमल बाथम
पता : जगनापुरा ग्वालियर म.प्र.
मो. 8602810062

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी सम्पति क्षेत्र क्रमांक 01 वार्ड क्रमांक 05 भवन क्रमांक ..... स्थान अपना घर कॉलोनी में स्थित है जो कि केशवती देवी शर्मा/ राकेश शर्मा/श्याम बाबू शर्मा के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000138592 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1512 वर्गफुट है। उक्त सम्पति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मृत्यु उपरांत दिनांक .... से प्राप्त किया गया है। उक्त सम्पति को मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र बहोड़ापुर पर दिनांक 10/03/2026 को किया गया है। जिसका ऑनलाइन आवेदन कार्य क्रमांक 60/2010/73678/73886 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 13-3-2026
आवेदक का नाम/पता
राकेश शर्मा/स्व. श्याम बाबू शर्मा
पता : अपना घर कॉलोनी, ग्वालियर म.प्र.
मो. 9425404999

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी सम्पति क्षेत्र क्रमांक 15 वार्ड क्रमांक 34 भवन क्रमांक ..... स्थान जरी पटका में स्थित है जो कि त्रिलोक सिंह भाटिया पुत्र सुरेन्द्र सिंह भाटिया एवं बलजीत सिंह भाटिया के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000082548, 1000082390 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1207 वर्गफुट है। उक्त सम्पति को मेरे द्वारा विभाजन पत्र से प्राप्त किया गया है। उक्त सम्पति को मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गांधी मार्केट पर दिनांक 13/03/2026 को किया गया है। जिसका ऑनलाइन आवेदन कार्य क्रमांक 70/2010/48482/48458 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 13-3-2026
आवेदक का नाम/पता
त्रिलोक सिंह भाटिया पुत्र सुरेन्द्र सिंह
पता : जरी पटका, ग्वालियर म.प्र.
मो. 9685920940

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 17, वार्ड क्रं 38,स्थान लाला का बाजार लश्कर ग्वा0 मे स्थित है जो कि नमिता कन्सट्रक्शन द्वारा डायरेक्टर दिनेश अग्रवाल/रामस्वरूप अग्रवाल के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 400 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R - 08052500535754 दिनांक 08.05.2025 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द 17, क्षे.क्र 17, पर दिनांक 12.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 71/2010/58683/58875 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
एश्वर्या अग्रवाल/हिमांशू अग्रवाल
पता-लाला का बाजार लश्कर ग्वा0(म.प्र.),
मो0-7999340499
विज्ञप्ति जारी दिनांक-13.03.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 02, वार्ड क्रं 06,स्थान 2379,जगनापुरा ग्वा0 मे स्थित है जो कि श्रीमती रेखा गौर,जितेन्द्र गौर/स्व. श्री रामनिवास गौर के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1003870006 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 600 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602022ए1481897 दिनांक 10.05.2022 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द नौमहला, क्षे.क्र 02, पर दिनांक को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
श्रीमती कृष्णा देवी/जयवीर सिंह, अरूण कुमार/रणवीर सिंह
पता-जगनापुरा ग्वा0(म.प्र.)
विज्ञप्ति जारी दिनांक-13.03.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 02, वार्ड क्रं 06,स्थान जगनापुरा ग्वा0 मे स्थित है जो कि मुनियाबाई/स्व. भोगीराम कुशवाह के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000087375 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1228 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र/वसीयत द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द नौमहला, क्षे.क्र 02, पर दिनांक 10.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 61/2010/58063/58272 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
लक्ष्मन सिंह,हंसराज कुशवाह/ भोगीराम कुशवाह
पता-जगनापुरा ग्वा0(म.प्र.)
मो0-8269741296
विज्ञप्ति जारी दिनांक-13.03.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 02, वार्ड क्रं 06,स्थान मंगलेश्वर रोड ग्वा0 मे स्थित है जो कि ओमप्रकाश/रामगोपाल मिश्रा के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 9000197776 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 498 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र/वसीयत द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द नौमहला, क्षे.क्र 02, पर दिनांक 10.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 61/2010/58064/58273 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
मुन्नी देवी/रामवीर सिंह यादव
पता-मंगलेश्वर रोड ग्वा0(म.प्र.)
मो0-7509526620
विज्ञप्ति जारी दिनांक-13.03.2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 39, भवन क्रं. 1863, स्थानः शिन्दे मण्डली, बाई साहब की परेड़ पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती लक्ष्मण राव शिंदे / श्री रूद्राजी राव के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000178694 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1350 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड हक त्याग-पत्र क्रं. R-260126 00131318 दिनांक 27.01.2026 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढोली बुआ का पुल क्षे.क्रं. 17 पर दिनांक 13.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं. 71/2010/58687/58879/प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
ज्योतिरादित्य राव शिंदे / श्री के.आर. शिंदे
श्रीमती शोभा शिंदे / श्री कृष्ण राव शिंदे
जीवाजीराव शिंदे / श्री के.आर. शिंदे
पता: शिन्दे मण्डली, बाई साहब की परेड़, वार्ड-39
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 13-03-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 01 वार्ड क्रं. 05, भवन क्रं. .., स्थानः फ्लैट नं. 306 ब्लॉक एल-4 मानपुर पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती सम्पदा अधिकारी ग्वालियर के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 2000226670 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 700 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. MP142602024 A1286056 दिनांक 05.03.2024 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र बहोड़ापुर क्षे.क्रं. 01 पर दिनांक 11.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं. 60/2010/73689/73897/प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्री अशोक शर्मा / श्री सीताराम शर्मा
श्रीमती मिथलेश शर्मा / श्री अशोक शर्मा
पता: फ्लैट नं. 306 ब्लॉक एल-4 मानपुर, वार्ड-05
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 13-03-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 01 वार्ड क्रं. 05, भवन क्रं. .., स्थानः फ्लैट नं. 106 न्यू द्वारिका धीश अपार्टमेन्ट सूरज नगर पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती बंशी वाले डवलपर्स श्री विक्रम सिंह यादव / श्री दाताराम यादव, श्री बंशी वाले डवलपर्स श्री मुलायम सिंह यादव / श्री शोभा लाल यादव के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 9000197904 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. A100153996 दिनांक 17.03.2025 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र बहोड़ापुर क्षे.क्रं. 01 पर दिनांक 13.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं. 60/2010/73706/ 73914/प्र.क्रं. *3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती सपना स्वामी / श्री जागेश स्वामी
श्री जागेश स्वामी / श्री भरोषी लाल स्वामी
पता: फ्लैट नं. 106 न्यू द्वारिका धीश अपार्टमेन्ट सूरज नगर, वार्ड-05
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 13-03-2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 01 वार्ड क्रं. 05, भवन क्रं. .., स्थानः बी-488, आनंद नगर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती नीरज सिंह धाकड़ / राय सिंह धाकड़ के नाम से नगर निगम में आई.डी. क्रं. 1000203101 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1130 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. MP142602018 A1831905 दिनांक 27.12.2018 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र बहोड़ापुर क्षे.क्रं. 01 पर दिनांक 13.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं. 60/2010/ 73705/73913/प्र.क्रं.*3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियम अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
दिलीप सिंह धाकड़ / श्री राय सिंह धाकड़
पता: बी-488, आनंद नगर, वार्ड-05
विज्ञप्ति जारी दिनांक: 13-03-2026

भूल सुधार / आम सूचना

एतद् द्वारा सूचित हो कि दिनांक 13.03.2026 को नव प्रभात में प्रकाशित क्षे. क्रं. 15, वार्ड क्रं. 43 की विज्ञप्ति में आवेदक के नाम बीना कुमारी / स्व. श्री दिलीप कुमार, टोहीत गाबरा, हितेश गाबरा / स्व. श्री दिलीप कुमार के स्थान बीना कुमारी / स्व. श्री दिलीप कुमार, रोहित गाबरा, हितेश गाबरा / स्व. श्री दिलीप कुमार पढ़ा जाये, जिसका कार्य क्रं. 70/2010/48476/48454/ है। शेष यथावत रहेगा।

आवेदक का नाम/पता
बीना कुमारी / स्व. श्री दिलीप कुमार
रोहित गाबरा, हितेश गाबरा / स्व. श्री दिलीप कुमार
पता: शॉप नं. 128, सी-स्काई कम्पू रोड़, वार्ड-43

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
झांसी रोड ग्वालियर, म.प्र.

प्रकरण क्रमांक 0048/ बी-121/2025-26/1688
ग्वालियर, दिनांक 06/03/2026

इश्तेहार / उद्घोषणा
(आम सूचना का प्रकाशन/इश्तेहार/उद्घोषणा)

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रमोद चतुर्वेदी निवासी श्रीराम एवेन्यू सोसायटी (पीएमएवाय फेस-2) महलगांव ग्वालियर एवं अन्य के द्वारा श्रीराम एवेन्यू सोसायटी (पीएमएवाय फेस-2) के पदाधिकारी व रहवासियों के कल्याणार्थ (रख-रखाव) एवं मूलभूत सुविधाओं हेतु मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व नियम 2019 के अंतर्गत 'श्रीराम एवेन्यू सोसायटी (पीएमएवाय फेस-2)' का संस्था के रूप में पंजीयन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है। अतः उपरोक्त में जिस किसी व्यक्ति / संस्था आदि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति / दावा स्वयं या अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 30/03/2026 तक न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 06/03/2026 को मेरे हस्ताक्षर व पद मुद्रा से जारी किया।

अतुल सिंह
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
झांसी रोड ग्वालियर

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक आवासीय भू-खण्ड जिसका क्षेत्रफल 840 वर्गफीट है,जो सर्वे क्रमांक 1474 राजस्व ग्राम मुरैनागांव का भाग होकर वार्ड क्रमांक 07, दाऊजी वार्ड, ग्राम मुरैनागांव, तहसील एवं जिला मुरैना, म.प्र. में स्थित है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है :- पूर्व में-आम रास्ता, पश्चिम में-अन्य की कृषि भूमि, उत्तर में -विक्रेता की सम्पत्ति, दक्षिण में-विक्रेता की सम्पत्ति स्थित है, उक्त संपत्ति को आवेदिका श्रीमती आशा पत्नी श्री दामोदर गोस्वामी निवासी वार्ड क्रमांक 05, बायपास रोड़, द्वारिकाधाम कॉलोनी, मुरैना, तहसील एवं जिला मुरैना, म.प्र. ने सम्पत्ति स्वामी श्री जगमोहन यादव पुत्र श्री रोशनलाल यादव निवासी सरपंच मौहल्ला, मुरैनागांव, तहसील एवं जिला मुरैना, म.प्र. से जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र ई-पंजीयन क्रमांक MP25792023A12697298 से दिनांक 22/12/2023 को क्रयकर मेरे पक्षकार आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, अलकनंदा, टावर 02, आदित्य कॉलेज के सामने, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म.प्र.) के यहां आवास ऋण के विरूद्ध बंधक करने हेतु सहमत होकर आवेदन किया है। यह कि, सर्वे क्रमांक 1474 क्षेत्रफल 0.500 हेक्टेयर भूमि को विक्रेता अन्य सह-स्वामियों के साथ संयुक्त स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी के रूप में धारण करता था तथा अपने भाग की भूमि से आवेदिका के पक्ष में उसके द्वारा विक्रय पत्र का निष्पादन किया गया। यह कि, यदि किसी सहस्वामी, व्यक्ति/व्यक्तियों को उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग के संबंध में किसी प्रकार की कोई या कैसी भी आपत्ति किसी भी माध्यम अर्थात बिक्रय, विनमय, बंधक (साम्यिक / रजिस्टर्ड बंधक या अन्यथा बंधक) न्यास, उत्तराधिकार, पारिवारिक व्यवस्थापन, भरणपोषण, विल द्वारा हस्तांतरण, भागीदारी, आधिपत्य, पट्टा, उप पट्टा, किरायेदारी, लायसेंस, भार, गिरवी, सुखाधिकारी या अन्य किसी प्रकार का अधिकार होने का दावा या आपत्ति करता हो तो वह मेरे नीचे लिखे नाम व पते पर मय दस्तावेजी प्रमाण के लिखित रुप में नोटिस प्रकाशन से 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें अन्यथा समयोपरांत उक्त संपत्ति मेरे पक्षकार के यहां बंधक कर ली जावेगी। उसके उपरांत कोई भी आपत्ति कतई स्वीकार योग्य न होकर निर्थक अर्थहीन, त्याग दी गई समझी जाकर शून्य होगी तथा मेरे पक्षकार पर कतई बंधनकारी नहीं होगी तद्नुसार सूचित हो।

दिनांक : 13/03/2026.
पुष्पेन्द्र कुमार अग्रवाल (एडवोकेट)
कार्यालय -44, कैलाश विहार, सिटी सेंटर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म.प्र.),
कार्या. समय : प्रातः 11.00 से सांय 05.00 तक

नरी-सेमरी मेला के दौरान रेलगाड़ियों का छाता स्टेशन पर अस्थाई ठहराव

भारतीय रेल द्वारा अपने सम्मानित श्रद्धालुओं/रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये **नरी-सेमरी मेला** के पावन अवसर पर **दिनांक 19.03.2026 से 27.03.2026** तक निम्नलिखित रेलगाड़ियों का **छाता स्टेशन** पर **एक मिनट** का अस्थाई ठहराव का निर्णय लिया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

गाड़ी सं.	स्टेशन से - स्टेशन तक	छाता स्टेशन पर समय	
		आगमन	प्रस्थान
18477	पुरी - योग नगरी ऋषिकेश	10:28	10:29
18478	योग नगरी ऋषिकेश - पुरी	13:26	13:27
12279	वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी - नई दिल्ली	19:37	19:38
12280	नई दिल्ली - वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी	08:25	08:26
12189	जबलपुर - हज़रत निजामुद्दीन	08:28	08:29
12190	हज़रत निजामुद्दीन - जबलपुर	14:26	14:27
11905	आगरा कैंट - होशियारपुर	20:16	20:17
11906	होशियारपुर - आगरा कैंट	09:08	09:09

नोटः- ट्रेनों से सम्बंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन 139 या Rail Madad Mobile App या वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।

उत्तर मध्य रेलवे
@CPRONCR North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in 574/26(A)

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अतः देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री नीरज बघेल, श्री गजराज सिंह, श्रीमती रामबेती नीरज दुग्ध सेंटर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10553244)	वह संपत्ति जो मकान संख्या 68, बिरला नगर, सरकारी विद्यालय के पास, ग्राम किशोरगढ़, पोस्ट- चिनौर, तहसील और जिला- ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत, पिन नं. 474004 में स्थित है. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल: 2000.00, 880.00, 1100.00	रु. 436747/- (रु. चार लाख छत्तीस हजार सात सौ सैंतालीस मात्र)	11-06-2025	10/03/2026
श्री अजमेर सिंह परिहार श्रीमती इंदिरा बाई (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10722031)	पटवारी हल्का संख्या 68, खसरा संख्या 447(एस), मकान संख्या 73, अकबाई छोटी, डबरा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश- 475110 स्थित संपत्ति का पूरा टुकड़ा प्रशासनिक विवरण (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल: 3000.00, 2100.00	रु. 617967/- (रु. छह लाख सत्रह हजार नौ सौ सड़सठ मात्र)	03-11-2025	10/03/2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिसः डी-1, ग्राउंड फ्लोर, बसंत विहार, ग्वालियर-474002 या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस- IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.
स्थान- ग्वालियर
दिनांक : 14-3-2026
प्रा. अधिकारी
कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
चतुर्थ तल, पंचानन भवन, मालवीय नगर, भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष क्रमांक : 9406901093, 2673141, 2673142 (For online help)

ई-निविदा सूचना क्रमांक 01-एस/2025-26

म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सिस्टम के माध्यम से निगम के विभिन्न कार्यालयों/स्थानों पर उपलब्ध स्टॉक के भौतिक सत्यापन हेतु **दिनांक 23.03.2026 को अपरान्ह 4.00 बजे तक** निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है :-

S. No.	Tender No.	Name of Product	EMD/PG	Last Date of Bid Submission
1.	25003-S	निगम संस्था के विभिन्न कार्यालयों/स्थानों पर उपलब्ध स्टॉक के भौतिक भण्डार सत्यापन हेतु (For Physical Verification of Stock at Various Office of The Madhya Pradesh Laghu Udhyog Nigam)	2500/-	23.03.2026

नोट :- निविदा में भाग लेने हेतु पात्रता, पूर्ण निविदा दस्तावेज, निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा शर्तें आदि की जानकारी mptendering पोर्टल **https://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है। निविदा में भाग लेने के लिए उक्त पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है।
म.प्र. माध्यम/124913/2026
प्रबंध संचालक

RELIANCE Asset Reconstruction
रिलायंस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः द्वितीय मंजिल, आईसीसी चैंबर-II, साकी विहार रोड, एमटीएनएल कार्यालय के पास, पवई, मुंबई, महाराष्ट्र- 400072

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस

नीचे उल्लिखित उधारकताओं ने इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से ऋण सुविधा प्राप्त की थी। चूंकि उधारकर्ता वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे हैं, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने 31/08/2022 को ऋण खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया है। इंडियन स्कूल फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने 31/03/2023 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से निम्नलिखित उधारकताओं की वित्तीय परिसंपत्तियों को, उनके सभी अधिकारों, स्वामित्व और हितों सहित, सभी अंतर्निहित प्रतिभूतियों के हितों के साथ, रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आरएआरसी 081 ट्रस्ट के न्यासी) के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया है।

उक्त कार्य सौंपे जाने के अनुसार, अधोहस्ताक्षरी अधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 04/02/2026 को पंजीकृत डाक द्वारा मांग नोटिस भेजा था, जिसमें उधारकताओं से उक्त नोटिस में उल्लिखित संपूर्ण बकाया राशि और उस पर लगने वाले ब्याज का भुगतान नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने का आह्वान किया गया था। यद्यपि, चूंकि नीचे उल्लिखित कुछ पक्षों को मांग नोटिस तामील नहीं किया जा सका, इसलिए वैकल्पिक तामील के माध्यम से इसे उधारकताओं को तामील किया जा रहा है।

विवरण इस प्रकार हैः- 1. पी.डी. गौतम प्राथमिक विद्यालय का प्रतिनिधित्व प्राधिकारी हस्ताक्षरकर्ता, श्री सोनू सिंह गौतम, लहार महाराणा प्रताप नगर, लहार, जिला-भिंड, म.प्र. - 477001, 2. श्री नादरी प्रसाद मानव कल्याण समिति का प्रतिनिधित्व इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री सोनू सिंह गौतम, भिंड द्वारा किया गया बांदर रोड, महाराणा प्रताप चौराहा। वार्ड क्रमांक-10, लहार, जिला-भिंड, म.प्र.- 477001, 3. श्रीमती सोनू गौतम पुत्र सुरेंद्र सिंह गौतम के पास विश्वनाथ धरम काटा, नंबर 789, दर्पण कॉलोनी, जिला - भिंड, मध्य प्रदेश -477001, 4. श्रीमती शशि पत्नी अरविंद 710, ग्राम-असवार, जिला-भिंड, मध्यप्रदेश-477001, 5. श्री सुरेंद्र सिंह गौतम पुत्र नदारी प्रसाद, विश्वनाथ धरम काटा, नंबर 789, दर्पण कॉलोनी, जिला- भिंड, मध्य प्रदेश-477001, 6. श्रीमती ममता पत्नी सुरेंद्र सिंह गौतम, विश्वनाथ धर्म काटा के पास, नंबर 789, दर्पण कॉलोनी, जिला-भिंड, मध्य प्रदेश-477001

दिनांक 21/01/2026 तक बकाया राशिः रू. 14,43,306,19/- (चौदह लाख तिरतालीस हजार तीन सौ छह और उन्नीस पैसे मात्र)

सुरक्षित चल/अचल संपत्तियों का विवरणः - विद्यालय भवन का वह पूरा भाग, जिसका कुल क्षेत्रफल 2280 वर्ग फुट है, सर्वेक्षण संख्या 1621, ग्राम लहर तहसील, लहर, जिला भिंड (मध्य प्रदेश)। सर्वेक्षण/द्वार संख्याः सर्वेक्षण संख्या 1621, क्षेत्रफलः कुल क्षेत्रफल 2280 वर्ग फुट, स्थानः ग्राम लहर तहसील, लहर, जिला भिंड (म.प्र.)। वर्तमान स्थिति और सीमाएँः पूर्वः मुंगाराम और छोटेलाल की भूमि, पश्चिमः विक्रेता का घर, छोटेलाल और पप्पू का घर, उत्तरः सड़क, दक्षिणः गिरजा और रघुवीर का घर।

यदि उपरोक्त संपूर्ण बकाया राशि का 60 दिनों के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो अधोहस्ताक्षरी को सरफेईएसआई अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपरोक्त गिरवी संपत्तियों को लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, आप यहां संदर्भित किसी भी गिरवी संपत्ति से संबंधित लेन-देन या हस्तांतरण करने से प्रतिबंधित हैं, चाहे वह बिक्री, पट्टा या किसी अन्य तरीके से हो। इस प्रावधान का उल्लंघन एक अपराध है और सरफेईएसआई अधिनियम के तहत दंडनीय है।

स्थानः भिंड जिला, मध्य प्रदेश राज्य
दिनांकः 14.03.2026
अधिकृत अधिकारी
रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड